

## गृह मंत्रालय

मांग संख्या 55

## गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	28.09	1272.44	1300.53	328.00	1312.87	1640.87	165.00	1400.19	1565.19	315.00	1410.56	1725.56	
पूँजी	...	86.15	86.15	...	103.99	103.99	...	93.00	93.00	...	147.72	147.72	
जोड़	<b>28.09</b>	<b>1358.59</b>	<b>1386.68</b>	<b>328.00</b>	<b>1416.86</b>	<b>1744.86</b>	<b>165.00</b>	<b>1493.19</b>	<b>1658.19</b>	<b>315.00</b>	<b>1558.28</b>	<b>1873.28</b>	
<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>													
<b>पुनर्वास</b>													
1. श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास	3601	...	34.97	34.97	...	30.00	30.00	...	34.93	34.93	...	50.00	50.00
2. जम्मू और कश्मीर के विस्थापितों को राहत और पुनर्वास	3601	...	60.00	60.00	...	81.55	81.55	...	115.00	115.00	...	100.00	100.00
3. अन्य देशों से स्वदेश लौटे व्यक्ति	2235	...	5.28	5.28	...	8.16	8.16	...	8.16	8.16	...	8.16	8.16
	3601	...	0.01	0.01	...	5.16	5.16	...	17.11	17.11	...	15.11	15.11
	जोड़	...	5.29	5.29	...	13.32	13.32	...	25.27	25.27	...	23.27	23.27
4. अन्य पुनर्वास कार्यक्रम	3601	...	150.79	150.79	...	126.00	126.00	...	61.37	61.37	...	48.01	48.01
जोड़-पुनर्वास	...	...	<b>251.05</b>	<b>251.05</b>	...	<b>250.87</b>	<b>250.87</b>	...	<b>236.57</b>	<b>236.57</b>	...	<b>221.28</b>	<b>221.28</b>
5. स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य लाभ स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना													
5.01 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम	2235	...	710.92	710.92	...	717.08	717.08	...	717.16	717.16	...	717.16	717.16
5.02 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मुफ्त रेलवे पास	2235	...	30.31	30.31	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	...	40.00	40.00
5.03 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान पत्र वितरण	2235	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़- स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य लाभ स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना	...	...	741.23	741.23	...	752.09	752.09	...	752.17	752.17	...	757.17	757.17
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	...	...	<b>992.28</b>	<b>992.28</b>	...	<b>1002.96</b>	<b>1002.96</b>	...	<b>988.74</b>	<b>988.74</b>	...	<b>978.45</b>	<b>978.45</b>
<b>नागर विमानन</b>													
6. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता	3053	...	44.99	44.99	...	40.00	40.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00
<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>													
7. जम्मू और कश्मीर में उधार लेने वालों के लिए ऋण राहत योजना	3475	...	...	...	...	...	...	...	1.32	1.32	...	1.32	1.32

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
8. अन्य मदें	2056	...	0.64	0.64	...	0.30	0.30	...	1.70	1.70	...	0.90	0.90
	2070	...	24.26	24.26	...	23.00	23.00	...	34.05	34.05	...	33.00	33.00
	2075	...	0.03	0.03	...	0.04	0.04	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
	2250	7.70	0.54	8.24	13.00	2.10	15.10	13.00	3.10	16.10	15.00	2.10	17.10
	जोड़	7.70	25.47	33.17	13.00	25.44	38.44	13.00	38.88	51.88	15.00	36.03	51.03
9. जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल	2250	...	...	...	...	...	...	...	...	...	150.00	...	150.00
<b>जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>		<b>7.70</b>	<b>25.47</b>	<b>33.17</b>	<b>13.00</b>	<b>25.44</b>	<b>38.44</b>	<b>13.00</b>	<b>40.20</b>	<b>53.20</b>	<b>165.00</b>	<b>37.35</b>	<b>202.35</b>
10. प्राकृतिक आपदा प्रबंध													
10.01 प्राकृतिक विपदाओं के लिये राहत													
10.01.01 कार्यक्रम घटक	2245	0.07	210.54	210.61	69.00	244.47	313.47	39.37	311.25	350.62	50.00	334.76	384.76
10.01.02 ईएपी घटक	2245	20.32	0.23	20.55	246.00	...	246.00	112.63	...	112.63	100.00	...	100.00
जोड़- प्राकृतिक विपदाओं के लिये राहत		20.39	210.77	231.16	315.00	244.47	559.47	152.00	311.25	463.25	150.00	334.76	484.76
10.02 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पर पूंजी परिव्यय	4250	...	72.97	72.97	...	90.81	90.81	...	79.82	79.82	...	147.72	147.72
जोड़- प्राकृतिक आपदा प्रबंध		20.39	283.74	304.13	315.00	335.28	650.28	152.00	391.07	543.07	150.00	482.48	632.48
11. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4235	...	13.18	13.18	...	13.18	13.18	...	13.18	13.18	...	...	...
12. वास्तविक वसूलियां	2235	...	-0.02	-0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2245	...	-1.05	-1.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		...	-1.07	-1.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>		<b>28.09</b>	<b>1358.59</b>	<b>1386.68</b>	<b>328.00</b>	<b>1416.86</b>	<b>1744.86</b>	<b>165.00</b>	<b>1493.19</b>	<b>1658.19</b>	<b>315.00</b>	<b>1558.28</b>	<b>1873.28</b>
विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
<b>ग. योजना परिव्यय</b>													
1. प्राकृतिक आपदाएं	22245	20.39	...	20.39	315.00	...	315.00	152.00	...	152.00	150.00	...	150.00
2. अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	7.70	...	7.70	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00	165.00	...	165.00
<b>जोड़</b>		<b>28.09</b>	...	<b>28.09</b>	<b>328.00</b>	...	<b>328.00</b>	<b>165.00</b>	...	<b>165.00</b>	<b>315.00</b>	...	<b>315.00</b>

1. **श्रीलंका से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास:** भारत-श्रीलंका करारों के अंतर्गत, श्रीलंका में जिन भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, उन्हें भारत में प्रत्यावर्तित किया जाना है और राहत एवं पुनर्वास सहायता दी जानी है। यह बजट प्रावधान इन प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए है और इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, रिपैट्रिएट कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट बैंक को सहायता एवं ऋण प्रदान किया जाना तथा उनके

पुनर्वास के कार्य में लगी हुई राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण एवं अग्रिम राशि दिया जाना शामिल है। प्रावधान का बड़ा हिस्सा श्रीलंका से आकर शिविरो में रह रहे शरणार्थियों को राहत सहायता प्रदान करने तथा स्टॉफ पर होने वाले व्यय के लिए भी है।

2. **जम्मू एवं कश्मीर के प्रवासियों के लिए राहत एवं पुनर्वास:** ये निधियां कश्मीरी प्रवासियों तथा जम्मू एवं कश्मीर में सीमावर्ती प्रवासियों को राहत प्रदान करने, आतंकवादी हमलों/सीमापार से गोलीबारी में मारे गए नागरिकों, विशेष पुलिस अधिकारियों, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के कार्मिकों के नजदीकी रिश्तेदारों को अनुग्रह राहत प्रदान करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार को प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु हैं। इन निधियों का प्रयोग कश्मीरी प्रवासियों, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के कारण विधवा हुई औरतों एवं अनाथों के राहत और पुनर्वास तथा अन्य राहत उपायों एवं समर्पण नीति आदि के लिए भी किया जाता है।

3. **अन्य देशों से प्रत्यावर्तित व्यक्तिः** इसमें तिब्बत, भूतपूर्व पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर व्यय शामिल है। यह योजना भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के लिए भूमि के अधिग्रहण तथा स्वत्व विलेखों का संवितरण करने के लिए है। इसमें भारतीय कैदियों के अन्य देशों से होने वाले प्रत्यावर्तन के लिए भी प्रावधान शामिल है।

4. **अन्य पुनर्वास कार्यक्रम:** इसमें भारत-पाक युद्ध, 1971 के पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण उपायों के लिए प्रावधान है। इसमें रियांग शरणार्थियों, बोडो-संथाल संघर्ष के पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास तथा त्रिपुरा, असम एवं मिज़ोरम के पूर्वोत्तर राज्यों को राहत एवं पुनर्वास सहायता प्रदान करने के प्रावधान भी शामिल हैं। 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए बढ़ाए गए मुआवजे तथा असम समझौते के कार्यान्वयन संबंधी व्यय को वहन करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

5. **स्वातंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं अन्य लाभ:** 1972 में शुरू की गई स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना को समय-समय पर उदार बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत, पूर्व अंडमान राजनैतिक कैदियों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन प्रदान की जाती है। इसमें गोवा मुक्ति आन्दोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों तथा हैदराबाद की तत्कालीन निजाम रियासत का भारत संघ में विलय करवाने के लिए किए गए संघर्ष में भाग लेने वाले व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान करने का प्रावधान भी शामिल है।

6. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सब्सिडी:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन के लिए सब्सिडी का भुगतान करने का प्रावधान शामिल है।

7. **जम्मू और कश्मीर में उधारकर्ताओं को ऋण राहत:** यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर में उधारकर्ताओं को ऋण राहत प्रदान करने के लिए है।

8. **अन्य मदें:** इसमें जागीरों के एवज में पेंशन, राष्ट्रीय एकता की योजनाएं, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम के लिए रक्षा मंत्रालय को व्यय की प्रतिपूर्ति, राष्ट्रीय पहचान-पत्र योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विज्ञापन एवं प्रचार आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

9. **जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन:** यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है।

10. **आपदा प्रबंधन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम संबंधी व्यय (प्राकृतिक आपदाएं एवं मानव-जनित आपदाएं दोनों), प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए विभिन्न संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को साहित्य

प्रकाशित करने/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है। इसमें मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं परामर्श सेवाएं, अध्ययन, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ प्रलेखन एवं सम्पर्क जैसे क्षमता-निर्माण कार्यक्रम के लिए दी जाने वाली सहायता भी शामिल है। इसमें राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना, यूएसएड आपदा प्रबंधन सहायता परियोजना, यू एन डी पी-आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान संबंधी प्रावधान भी शामिल है। इसमें आपदा पीड़ितों को अनुग्रह सहायता, भूकंप पीड़ितों को राहत एवं आपदा प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें बनाने संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं।